रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2004/श्रावण 12, 1926
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2004/SRAVANA 12, 1926

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2004

**सं. एल-7/25(7)/2004-सीईआरसी.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ</u>

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबंधित विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. <u>परिभाषाएं और निर्वचन</u>

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "आवेदन" से अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग को किया गया आवेदन, उसके साथ उपाबंध और संलग्नक अभिप्रेत है ;

(घ) "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास उत्पादन केन्द्र से विद्युत का फर्म आवंटन हो या जो उत्पादन केन्द्र से उसे आबंटित विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो ; और

(ङ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **आवेदन करने के लिए प्रक्रिया**

(1) आवेदन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्ररूप मे आयोग को किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक प्रत्येक फायदाग्राही को आवेदन की प्रति तामील कराएगा ।

(3) आवेदक आयोग को आवेदन करने से पूर्व, संपूर्ण आवेदन को अपनी स्वयं की वेबसाइट या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डालेगा ।

(4) आयोग को आवेदन करते समय, आवेदक यह उपदर्शित करेगा कि संपूर्ण आवेदन की प्रति प्रत्येक फायदाग्राही को तामील करा दी गई है तथा आवेदन अपनी स्वयं की वेबसाइट पर या ऐसे किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है जिस पर आवेदन पोस्ट किया गया है ।

(5) आवेदक, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों से अवगत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा । आवेदन इस विनियम के खंड (6) के अनुसार आवेदन की सूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिन तक वेबसाइट पर रखा जाएगा :

(6) आवेदक, आवेदन करने के पश्चात् 7 दिन के भीतर कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा उस देशी भाषा का होगा जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में हो जहां फायदाग्राही अवस्थित हो, सूचना को प्रकाशित करेगा तथा ऐसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में वह उसी भाषा में होगी, जो उस समाचार-पत्र की है, जिसमें इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए नमूने के अनुसार आवेदन प्रकाशित किया जाता है ।

(7) किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव के लिए सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आदेश को उसकी प्रति के साथ, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सातवीं मंजिल, कोर 3, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (या किसी ऐसे अन्य पते पर जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) के समक्ष फाइल की जा सकेंगी ।

(8) आवेदक यथावपूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को शपथपत्र पर आयोग को प्रस्तुत करेगा और उन समाचार पत्रों की सुसंगत प्रतियां भी फाइल करेगा जिनमें सूचना प्रकाशित की गई है ।

(9) आवेदक समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हों, के संबंध में शपथ-पत्र पर अपनी टीका-टिप्पणियां फाइल करेगा और उसकी अग्रिम प्रति ऐसे व्यक्ति को देगा, जिसने आवेदन संबंधी प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां फाइल की हैं ।

4. **आवेदन पर विनिश्चय**

(1) आयोग आवेदन में किए गए प्रस्ताव और सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में ऐसे आवेदन में किए गए प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, -

(क) ऐसे उपांतरणों या ऐसी शर्तों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के साथ आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करेगा ; या

(ख) यदि ऐसा आवेदन इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या तत्समय प्रवृत किन्हीं अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा :

परंतु यह कि आयोग अपने स्वविवेक से टैरिफ आदेश करने से पूर्व, आवेदक, फायदाग्राही, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसने सुझाव या आपत्तियां फाइल की हैं, या उनमें से किसी एक या अधिक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि आवेदक को उसके आवेदन को रद्द करने से पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) आयोग आदेश करने से सात दिन के भीतर, समुचित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आवेदक और फायदाग्राहियों को आदेश की प्रति भेजेगा ।

5. अध्यारोही प्रभाव

इन विनियमों के उपबंध, जहां तक टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन का संबंध है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा./150/04]

## अनुसूची

[विनियम 3 के (6) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु]

**(कंपनी का नाम)**
**(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता........)** } **(स्पष्ट अक्षरों में)**

1. ऊपर नामित आवेदक ने [उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली का ना दें] के टैरिफ के अवधारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है ।

2. उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली के फायदाग्राही निम्नलिखित हैं :

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

..............................................................

..............................................................

3. उत्पादन केंद्र की क्षमता/लाईन की लंबाई ; पारेषण प्रणाली के बेज की संख्या :

4. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) -- मूल :
अंतिम (पुनरीक्षित):

5. वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है :

6. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख मूल :
अंतिम (पुनरीक्षित) :

7. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :

8. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में) :

9. टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(लाख रुपए में)

| | पिछले वर्ष के लिए टैरिफ | अवधारित किए जाने के लिए वर्षवार टैरिफ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पहला वर्ष | दूसरा वर्ष | तीसरा वर्ष | चौथा वर्ष | पाचवां वर्ष |
| **ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र**<br>**1. क्षमता प्रभार**<br>**2. ऊर्जा प्रभार** | | | | | | |
| **हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केंद्र**<br>**1. वार्षिक नियत प्रभार**<br>**2. प्रारंभिक ऊर्जा प्रभार** | | | | | | |
| **पारेषण प्रभार**<br>**पारेषण प्रभार** | | | | | | |

10. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है ।

2378/GI/04—2

11. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सातवीं मंजिल, कोर-3, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003 (या ऐसे किसी अन्य पते पर जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) के समक्ष फाइल की जा सकेंगी ।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम